9

दिनांक 06.03.2024 (बुधवार) को अध्यक्ष, पंचम राज्य वित्त आयोग, झारखण्ड की अध्यक्षता में विकास आयुक्त, झारखण्ड की सभाकक्ष में आयोजित प्रथम बैठक की कार्यवाही:–

1. उपस्थितिः–

(i) श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग।
(ii) श्री हरीश्वर दयाल, सदस्य, राज्य वित्त आयोग।
(iii) निशा उराँव, सदस्य, राज्य वित्त आयोग।
(ii) श्री नितीश कुमार सिंह, सदस्य सचिव, राज्य वित्त आयोग।
(iii) श्री कौशल किशोर झा, उप सचिव, राज्य वित्त आयोग।

2. आज प्रथम बैठक अध्यक्ष सहित राज्य वित्त आयोग के सदस्यों के योगदान के बाद आहूत की गई। आयोग गठन करने की स्थिति निम्नवत् है –

(i)	आयोग का गठन	–	अधिसूचना सं0 526 / वि0, दिनांक 23–02–2024
(ii)	श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, अध्यक्ष का पदभार ग्रहण	–	26–02–2024।
(iii)	श्री हरीश्वर दयाल, सदस्य का पदभार ग्रहण	–	05–03–2024।
(iv)	निशा उराँव, सदस्य (पदेन) का पदभार ग्रहण	–	06–03–2024
(v)	श्री नितीश कुमार सिंह, सदस्य सचिव का पदभार ग्रहण	–	06–03–2024

नोटः– श्री पंकज कुमार सिंह, तत्कालीन सदस्य सचिव का कार्यकाल दिनांक 05–03–2024 तक रहा।

3. आयोग की प्रथम बैठक विकास आयुक्त, झारखण्ड सरकार के सभाकक्ष में आयोजित की गई। आयोग इसके लिये विकास आयुक्त, झारखण्ड का आभार व्यक्त करता है।

4. प्रथम बैठक में सभी का परिचय प्राप्त किया गया एवं विभिन्न बिन्दुओं पर प्रारम्भिक विमर्श किया गया।

5. आयोग को मुख्यतः पंचायती राज विभाग तथा नगर विकास विभाग की विभिन्न संस्थाओं (PRI/RLB/ULB) का संसाधन संग्रह का आंकलन तथा संसाधन आवंटन इत्यादि पर विचार करना है। निदेशक, पंचायत राज, आयोग के पदेन सदस्य है। इस कम में नगर विकास विभाग के पक्ष का पूर्णता से प्रतिनिधित्व करने हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन कार्यरत निदेशक, नगरीय प्रशासन को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।

6. विभिन्न विषयों पर विचार के कम में **निदेशक, पंचायती राज** से अनुरोध किया गया कि संविधान में वर्णित अनुसूची – v में अंकित राज्यों में राज्य स्त्रोत से प्राप्त राजस्व का पंचायती राज संस्थाओं को वितरण करने संबंधी सूत्रों एवं सिद्धातों के संबंध में अगर सूचना संकलित हो तो उपलब्ध कराया जाय। साथ ही साथ, उसके वास्तविक रूप से लागू होने का status की कोई study report/evaluation report/feld verification किया गया हो तो उपलब्ध कराया जाय। राज्य सरकार द्वारा 73rd संविधान संशोधन के कम में शक्तियों का प्रत्यायोजन विभिन्न विभागों द्वारा किया गया है, उसे भी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

निशा उराँव

(8)

7. बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सदस्य सचिव, राज्य वित्त आयोग की अनुपस्थिति में पत्राचार संबंधी कार्य उप सचिव, राज्य वित्त आयोग करेंगे। ऐसे सभी पत्र सदस्य सचिव के वापस आने पर उनके समक्ष उपस्थापित किया जायेगा।

8. राज्य में विभिन्न प्रकार के टैक्स, सेस संबंधी एक्ट/रूल्स से संबंधित महत्वपूर्ण किताबें जैसे पंचायती राज अधिनियम, नगरपालिका अधिनियम राजस्व संबंधी एक्ट आदि के क्रय करने हेतु सदस्य सचिव, राज्य वित्त आयोग से अनुरोध किया गया। इस संबंध में संबंधित विभागों/निदेशकों से समन्वय कर लिस्ट तैयार किया जाय। सभी पुस्तकें राज्य वित्त आयोग पुस्तकालय का हिस्सा होगा।

9. (i) राज्य वित्त आयोग का एक बेवसाईट तैयार करने हेतु NIC से पत्राचार करने का निर्णय लिया गया।
(ii) तत्काल एक email id create कर लिया जाय ताकि communication सुलभ हो सके।
(iii) 5th राज्य वित्त आयोग तथा अध्यक्ष का Letter Head etc मुद्रित रूप में तैयार करा लिया जाय।

10. राज्य वित्त आयोग के आवश्यक कार्यालय कार्य एवं अनुसंधान विश्लेषण हेतु योग्य कम्प्युटर ऑपरेटरों की सेवा उपलब्ध कराने के संबंध में वित्त विभाग से समन्वय करे ताकि कार्यालय सुचारू रूप से प्रारम्भ हो सके।

11. वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 के लिये बजटीय उपबन्ध नहीं होने की अनौपचारिक सूचना है। सदस्य सचिव समन्वय कर संतुष्ट हो लेना चाहेंगे।

12. राज्य वित्त आयोग का अपना कार्यालय अद्यतन उपलब्ध नहीं है। पूर्व में वर्ष 2008–09 में एक कार्यालय था जो जीर्ण अवस्था में है। उसे ठीक होने में कम से कम 3–4 माह लगेगा तथा वह स्थान पर्याप्त भी नहीं है। पूर्व में मात्र कार्यरत पदाधिकारी ही एकमात्र अध्यक्ष के पद पर अतिरिक्त प्रभार इत्यादि में पदस्थापित रहते थे। यह पूर्ण रूप से गठित प्रथम आयोग है। इस क्रम में उपयुक्त कार्यालय की तत्काल व्यवस्था करने, कार्यालय हेतु उपस्कर, कम्प्युटर, लैपटॉप, अध्यक्ष/सदस्य का mobile/Landline office/residence/internet आदि की व्यवस्था करने तथा राज्य वित्त आयोग के लिये बजट उपबंध की अनुपलब्धता की स्थिति में राज्य वित्त आयोग कार्यालय के संचालन हेतु वित्तीय आवश्यकताओं का आंकलन कर वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची से राशि (आवंटन) उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाय। इस क्रम में वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 का सभी मदों का आंकलन कर माँग पत्र, वित्त विभाग को भेजा जाय। सभी आवश्यकता, जो विभिन्न कंडिका में वर्णित है, उसके अतिरिक्त वेतन भत्ता एवं अन्य अनुमान्य मदों में माँग किया जाय।

13. पूर्व मे गठित राज्य वित्त आयोग से संबंधित अभिलेख/प्रतिवेदन (यदि उपलब्ध हो तो) को संग्रहित करने का निदेश दिया गया। पूर्व के साम्रगी/अभिलेख की inventory तैयार किया जाय।

14. अधोहस्ताक्षरी द्वारा पदभार ग्रहण के बाद बिहार/उडीसा/पश्चिम बंगाल का प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। उसको SCAN कर PRINTED प्रति/SOFT प्रति कार्यालय में संधारित की जाय।

4-

(7)

15. राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदनों के गठन/अनुसंधान विश्लेषण हेतु आवश्यकतानुसार Research Associate रखने पर चर्चा की गई। इस संबंध में UNICEF/UNDP/WORLD BANK से भी समन्वय वित्त विभाग के सहयोग से सदस्य सचिव करना चाहेंगे।

16. योजना विभाग/वित्त विभाग/पंचायती राज/नगर विकास एवं आवास विभाग तथा राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, राँची, जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, राँची एवं श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची से Power Devolution एवं करारोपण के संबंध में पूर्व गठित रिपोर्ट (यदि हो तो) उपलब्ध कराने के संबंध में पत्राचार करने संबंधी विषयों पर चर्चा की गई।

17. Terms of Reference के आलोक में राज्य का संसाधन बढ़ाने, एवं टैक्स हेतु अलग अलग स्त्रोत ढूँढने के बिन्दु पर विचार किया गया। इस संबंध में दोनो प्रमुख विभाग से Status Report प्राप्त किया जा सकता है।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

निशा उराँव 06/03/24	06.3.24	06/03/2024.	06/03/24
(निशा उराँव)	(नितीश कुमार सिंह)	(हरीश्वर दयाल)	(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
सदस्य (पदेन)	सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष
राज्य वित्त आयोग	राज्य वित्त आयोग	राज्य वित्त आयोग	राज्य वित्त आयोग

झारखण्ड सरकार
राज्य वित्त आयोग

ज्ञापांक – वित्त (SFC) (कार्यवाही) – 01/24-08/वि0आ0 राँची, दिनांक 18/03/2024

प्रतिलिपिः– अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग, झारखण्ड, राँची/सदस्य सचिव, राज्य वित्त आयोग, झारखण्ड, राँची/श्री हरीश्वर दयाल, सदस्य, राज्य वित्त आयोग, झारखण्ड, राँची/निदेशक, पंचायती राज निदेशालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

कौशल 06-03-24
(कौशल किशोर झा)
उप सचिव
राज्य वित्त आयोग, झारखण्ड।

राज्य वित्त आयोग से संबंधित विषयों पर चर्चा किये जाने हेतु दिनांक–06.03.2024 को विकास आयुक्त के सभागार में आहूत बैठक की उपस्थिति :–

क्र०	नाम एवं पदनाम	हस्ताक्षर
1.	अमरेन्द्र प्रताप सिंह अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग	06/03/2024
2.	नितीश कुमार सिंह सदस्य सचिव, राज्य वित्त आयोग	06.3.24
3.	निशा उरांव सदस्य , राज्य वित्त आयोग	निशा उराँव
4.	हरीश्वर दयाल सदस्य, राज्य वित्त आयोग	H Dayal 06/03/24
5.	कौशल किशोर झा उप सचिव, राज्य वित्त आयोग	Kaushal 06-03-23
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		